CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT

MAIN OFFICE: 41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110 062 INDIA
Tel: 2995 5124, 2995 6110, 2995 6394, 2995 6399 **Fax:** 91-11-2995 5879 **Email:** cse@cseindia.org **Website:** www.cseindia.org
BRANCH OFFICE: Core 6A, Fourth Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110 003
Tel: 2464 5334, 2464 5335

LEAVES OF IMPORTANT SURVIVAL TREES IN INDIA — MAHUA, KHEJDI, ALDER, PALMYRA AND OAK

प्रेस विज्ञप्ति

मानव जीवन के लिए पेयजल की गुणवत्ता काफी अहमियत रखता है

परन्तु भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती।

अस्पष्ट नियंत्रण और अकर्मण्यता के कारण जन-स्वास्थ्य तबाह हो रहा है।

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2003:
क्या ''स्वच्छ'' जल सभी भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है? नहीं, ऐसा हमारी सरकार हमें विश्वास दिलाती है। यही वो अविश्वसनीय सच्चाई है, जिसका सेंटर फॉर साइंस एण्ड इन्वायरन्मेंट (सीएसई) ने पता लगाया है।

''आजादी के 55 साल गुजर जाने के बाद भी भारत के पास ऐसा कोई कानूनी मानक नहीं है, जिससे 'स्वच्छ' और पेयजल को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में मदद मिले। नगरपालिका उसी पानी की आपूर्ति कर सकती है, जो न तो पेय योग्य है और न ही पीने योग्य परन्तु इस मामले में आम नागरिक असहाय है। इस कानून के तहत गुणवत्ता के लिए किसी भी संस्थान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि किसी ने भी ऐसा कोई मानक नहीं तय किया है, जिसे कानूनी रूप से लागू किया जा सके,'' ऐसा सीएसई की निदेशक, सुनीता नारायण का कहना है।

केन्द्रीय शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तहत द सेंट्रल पब्लिक हैल्थ एण्ड इन्वायरन्मेंटल इंजीनीयरिंग ऑरगेनाइजेशन पेयजल की गुणवत्ता मार्ग-निर्देश तय करती है। लेकिन ये मात्र मार्ग-निर्देश ही बने हुए हैं।

''साथ ही इस मार्ग-निर्देश में इनके क्रियान्वयन में ढील बरतने की पूरी गुंजाइश रखते हुए दो मानदण्ड दिए गए हैं, अत: इससे नगरपालिकाएं अपनी इच्छा के आधार पर इसका चुनाव करने और इसकी आपूर्ति करने के लिए स्वतंत्र हैं:'' ऐसा सीएसई में ग्रीन रेटिंग प्रोजेक्ट के समन्वयक चन्द्रभूषण का कहना है।

वास्तव में, नगरपालिकाओं का भी यही कहना है। मिसाल के लिए, राजस्थान जल आपूर्ति और मल निगम अधिनियम की धारा 42 के तहत यह विभाग दुर्घटना, गर्मी में पानी की आपूर्ति में अडचन या श्रमिकों द्वारा हड़ताल की स्थिति में पानी की आपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं है। कोलकोता नगर निगम अधिनियम, 1980 की धारा 234 में कहा गया है, कि निगम पानी की आपूर्ति ''जहां तक संभव हो'' करेगा। त्रिपुरा नगर पालिका अधिनियम में कहा गया है कि यह ''आपूर्ति करने की कोशिश'' करेगा।

PATRON
SHRI K.R. NARAYANAN

Founder Director
ANIL AGARWAL

EXECUTIVE BOARD

Chairperson
M.S. SWAMINATHAN

Director
SUNITA NARAIN

Members
B.D. DIKSHIT
B.G. VERGHESE
ELA BHATT
G.N. GUPTA
KAMLA CHOWDHRY
VIKRAM LAL
VIRENDRA KUMAR
WILLIAM BISSELL

The Centre for Science and Environment is a non-governmental, non-profit organisation registered in New Delhi, set up to disseminate information about science and environment

सुनीता नारायण का स्पष्टरूप से कहना है कि, ''अगर यह मौजूद भी होता, तो भी हर कोई अपने आपको इस जिम्मेदारी से मुक्त करने में लगा होता है।''

सन् 1996 में संसदीय अवर विधान समिति ने सुझाव दिया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा पानी की साफ-सफाई और आपूर्ति को खाद्यान्न में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि, ''यह एजेंसी जनता को पेयजल की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है, अत: इसे इसकी शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और इस संविधि के तहत ऐसा करने की बाध्यता होनी चाहिए।'' परन्तु इस समिति के समक्ष अपने बयान में शहरी विकास मंत्रालय (जो शहरों में पेयजल की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हैं) ने बात बदलते हुए कहा कि खाद्यान्न के तहत पानी को शामिल करने से उन एजेंसियों पर इसकी जिम्मेदारी आएगी जो पानी की आपूर्ति करते हैं, जो कि मान्यता मानकों को लेकर चलने की एक कानूनी प्रतिबद्धता है। अपने सार-संक्षेप में इनका कहना था कि इन एजेंसियों के लिए इन मानकों को लेकर चलना शायद संभव न हो, क्योंकि इनके पास आवश्यक वित्तीय संसाधनों का अभाव है।

आज बच्चे कोई और तत्व की बजाय गंदा पानी पीने से ज्यादा मर रहे हैं। ''इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसीलिए प्रशासन इस जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाता है,'' ऐसा चन्द्रभूषण का कहना है, ''क्योंकि इस तरह से उन्हें उन मौतों और बीमारियों की भी जिम्मेदारी लेनी होगी, जिनसे आज यह देश शर्मिंदा है।''

सुनीता नारायण कहती हैं, ''हम कानूनी रूप से लागू होने योग्य मानकों की मांग करते हैं। अब समय आ गया है कि नागरिक पूरे जोश-खरोश के साथ इसकी लड़ाई लड़ें।''

- डाउन टू अर्थ का सम्पूर्ण लेख,
- सीएसई प्रयोगशाला की सम्पूर्ण रिपोर्ट
- प्रेस कान्फ्रेंस की प्रस्तुति, और
- इस प्रेस विज्ञप्ति को सीधे देखने, उसकी तस्वीरें प्राप्त करने या इसे दोस्तों को भेजने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट खोलकर देखें: **http://www.cseindia.org/html/cola-indepth/index.htm**

अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ई-मेल करें: **media@cseindia.org** या
हमें फोन करें: **9810098142**